



17/9/19
पत्र
आगे चलाना
नहीं चाहता


17/9/19

पत्रावली पेश हुई। बांधी मय अधिकता
के उपर। बांधी ने न्यायालय में उपस्थित
होकर निवेदन किया कि हमारे व
अप्रायोगियों में आपसी सहमति से
राजीनामा हो जाने से बांधी प्राथमिक
पत्र को आगे चलाना नहीं चाहता।

हमने बांधी को सुना व पत्रावली
पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया।
बांधी द्वारा प्रकरण को आगे चलाना
नहीं चाहता है अतः प्रकरण जरिये
विद्रोह खारिज किया जाता है। पत्रावली
के सल सुभार होकर नम्बर से कत हो।
निर्णय आज दिनांक 17/9/19 के सरे
इजलास सुनाया गया।

जिला न्यायाधीश
सुमेरपुर


उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली